न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री जगदीश आर्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 01/2023 तारीख रजू 24.01.2023

1. कामिनी देवी पत्नि श्री भगवतराम धानक निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....प्रार्थीया

बनाम

1. अमर्या उर्फ अमरलाल पुत्र श्री ऊंकार बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

.....विपक्षीगण

उपस्थित

(1) श्री भोलाशंकर शर्मा एड. प्रार्थीया की ओर से
(2) श्री रमेश चन्द गोयल विपक्षी 1 की ओर से
(3) पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक **04.07.2024.**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(1) आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1981 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 अमर्या उर्फ अमरलाल पुत्र श्री ऊंकार बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार को खसरा नम्बर 101 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बालेर में दिनांक 15.05.1981 को किया गया आवंटन को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थीया ग्राम बालेर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर की स्थायी निवासी है एवं काश्तकार पेशा महिला है। यह कि प्रार्थीया ने राधेश्याम पुत्र रामा कोली से आराजी

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

खसरा नम्बर 101/मिन 9 रकबा 11 बीघा वाके ग्राम बालेर में से 1 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07/10/2011 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। यह भूमि आबादी से दो किलोमीटर दूर एवं सड़क खण्डार से बालेर रोड के पूर्व दिशा में स्थित है, जो सड़क खण्डार से बालेर रोड के पूर्व दिशा में समानान्तर उत्तर दक्षिण 165 फिट x पूर्व पश्चिम 165 फिट अर्थात् कुल 27225 वर्गफिट स्थित है। जिस पर पूर्व मं प्रार्थीया के प्रेसिडेसर राधेश्याम का कब्जा था एवं खरीदी के पश्चात् प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है। जिसके वर्तमान नम्बर रेवेन्यु विभाग द्वारा 1245/101 रकबा 1 बीघा बनाये जाकर खाता संख्या नया 64 एवं पुराना 404 पर दर्ज किया गया है। जिस पर प्रार्थीया खरीद के दिन से ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। यह कि विपक्षी संख्या 1 अमर्या उर्फ अमरलाल द्वारा आराजी खसरा नम्बर 101 वाके ग्राम बालेर में से 5 बीघा का आवंटन अपने पक्ष में होना बताकर प्रार्थीया की कब्जेशुदा भूमि के स्थान पर अपनी भूमि बताकर कब्जा करने का असत्य प्रयास किया जा रहा है। जबकि सही तथ्य यह है कि विपक्षी संख्या 1 को अलॉटमेन्ट के उपरान्त मौके पर कोई कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। अलॉटमेन्ट के उपरान्त कब्जा देने की रिपोर्ट में कब्जा देने की कोई तारीख दर्ज नहीं हैं, ना ही मौके पर कहीं भी सम्पूर्ण खसरा नम्बर 101 में विपक्षी संख्या 1 का कब्जा है। यही कारण रहा है कि विपक्षी संख्या 1 ने रेवेन्यु अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 21/05/1981 को खुलवाया है, जो किस अधिकारी ने खोला है, नामान्तकरण पर दर्ज नहीं है। उक्त नामान्तकरण को देखने से ही स्पष्ट है कि नामान्तकरण फर्जी है। जिस भूमि का विपक्षी संख्या 1 ने स्वयं को अलोटमेन्ट बताया है, उसका नया नम्बर राजस्व कर्मचारियों ने 991/101 रकबा 5 बीघा दर्ज किया है, जो बिना मौका देखे दर्ज किया गया है। क्योंकि खसरा नम्बर 101 करीब 94 बीघा का रकबा था, जिसमें कहीं भी इस नम्बर की तरमीम नहीं है। इसका फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीया के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। यह कि वरवक्त अलोटमेन्ट विपक्षी संख्या 1 लैण्डलेस पर्सन नहीं था, बल्कि उसकी खातेदारी में खसरा नम्बर 512 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं 624 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा दर्ज रहे हैं। वरवक्त आंवटन पटवारी ने 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने की रिपोर्ट कर रखी है जो यह साबित करती है कि विपक्षी संख्या 1 लैण्डलेस नहीं था। ऐसी सूरत में विपक्षी संख्या 1 को किया गया अलॉटमेन्ट कानून विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह कि विपक्षी संख्या 1 ने आवंटन कमेटी के उपर फ्रोड एवं मिस रिप्रजेन्टेशन का सहारा लेकर अलॉटमेन्ट कराया है। विपक्षी संख्या 1 का मौके पर कहीं कोई कब्जा नहीं है। यह कि विपक्षी संख्या 1 गलत आवंटन की आड़ में प्रार्थीया की जमीन पर कब्जा करके प्रार्थीया को मौके से बेदखल करना चाहता है। इसलिये प्रार्थी एग्रीव्ड पर्सन है एवं एग्रीव्ड पर्सन की परिभाषा में आने के कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करने का अधिकार रखती है। यह कि विपक्षी संख्या 1 को आवंटन से पूर्व ना तो मौका देखा

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गया, ना ही कोई अन ऑक्यूपाईड भूमि की कोई लिस्ट बनाई गई, ना ही कोई उद्घोषणा जारी की गई, ना ही ग्राम बालेर में बैठकर ये अलॉटमेन्ट किया गया। यह आवंटन विधि विरूद्ध है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि वरवक्त अलॉटमेन्ट आवंटन कमेटी का कोरम भी पूरा नहीं था। यह कि दिनांक 13/02/2022 की बात है कि विपक्षी संख्या 1 मौके पर आया एवं प्रार्थीया की जमीन को देखकर कहने लगा कि ये जमीन उसकी अलोटशुदा है उसे तुरन्त खाली करो, अन्यथा जान से खत्म कर दूंगा। तो प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। इस जमीन पर तो प्रार्थीया का कब्जा है तथा प्रार्थीया ने उक्त आराजी को खरीद किया है तो विपक्षी संख्या 1 अत्यन्त गुस्से में बोला कि वह 1–2 दिन में प्रार्थीया को बेदखल करेगा। यह कि फ्रोड व मिस रिप्रजेन्टेशन से प्राप्त अलॉटमेन्ट को कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। यहां तक कि माननीय न्यायालय सो–मोटो भी ऐसे अलॉटमेन्ट को केन्सिल कर सकते है। ऐसे अलॉटमेन्ट को केन्सिल करने की कोई मियाद नहीं है। अवैधानिक आदेश कभी भी निरस्त किये जा सकते है। यह कि बिनायदावा दिनांक 13/02/2022 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा उसको हुए अलॉटमेन्ट की जानकारी देने पर अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुआ लिहाजा बलिहाज मालियत दावा एवं सकूनत फरीकेन को देखते हुए यह प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। इस संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा साईटेशन RRD 1988 पेज नं. 48, RRD 1988 पेज नं. 90, RRD 1982 पेज नं. 520 प्रस्तुत की गई। अन्त में वकील प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया अलॉटमेन्ट आदेश दिनांक 15/05/1981 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों पर निगरानी पेश की गई है। विपक्षी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.05.81 को ग्राम बालेर के ख0नं0 101 में 5 बीघा जमीन आवंटित की गई है। जिसकी अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 21.05.81 को गैरखातेदारी स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार खण्डार के आदेश कमांक एलआर/04/1142 दिनांक 02.04.04 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1597 दिनांक 01.05.04 द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। दिनांक 18.06.81 को कब्जा संभलवाये दिन से ही अपनी आराजी पर काबिज है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार खण्डार को पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है। प्रार्थीया द्वारा जिला सतर्कता समिति में इस संबंध में दिनांक 06.01.2022 से पूर्व ही परिवाद पेश कर रखा था जिसमें उप जिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.22 के द्वारा जवाब पेश किया है। अतः प्रार्थीया द्वारा गलत तथ्य पेश करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। विवादित जमीन पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार लगभग 20 वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुके है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में साईटेशन RRD 1997 पेज नं. 195 प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रार्थीगण व विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलील व बहस को ध्यान पूर्वक सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में बहस के मुख्य बिन्दु विपक्षी के भूमिहीन नहीं होने पर भी, बिना कोरम पूर्ण हुए विवादित भूमि का आवंटन किया जाना, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होना एवं विपक्षी को विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार 20 वर्ष से अधिक समय पूर्व मिलने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन रूल्स 14(4) पोषनीय नहीं होना है। प्रकरण में प्रार्थी का कथन कि विपक्षी को विवादित भूमि के आवंटन के समय विपक्षी भूमिहीन नहीं था, के संबंध में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन नियम, 1970 के अनुसार आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि 4 हैक्टर से अधिक नहीं थी, ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी का तर्क कि आंवटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं था, खारिज योग्य है। वकील प्रार्थी का यह कथन कि वरवक्त अलॉटमेन्ट आवंटन कमेटी का कोरम भी पूरा नहीं था, के संबंध में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन नियम, 1970 के अनुसार बैठक की कार्यवाही के लिए तीन सदस्य का न्यूनतम कोरम आवश्यक है, ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी का यह तर्क भी खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 का कथन कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है, पर गौर फरमाने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया द्वारा जिला सतर्कता समिति में इस संबंध में दिनांक 06.01.2022 से पूर्व ही परिवाद पेश कर रखा था जिसमें उप जिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.22 के द्वारा जवाब पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीया का कथन कि उन्हें विवादित भूमि के आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.02.2022 को हुई हो, सही प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होना प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी को विवादित भूमि के गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार वर्ष 2004 अर्थात् लगभग 20 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो चुके है। अतः उक्त भूमि खातेदारी की होने के कारण खातेदारी निरस्त करने के अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं होने, तथा सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर